

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर ४म०प०४

पु०क्र०/आर.- निगरानी 855-11-15



श्री. आर. ए. सोलंकर-डा. सि०
द्वारा दिनांक 23-4-15 को
पुस्तक 1

23-4-15
श्री. आर. ए. सोलंकर
21/11/15 को ल.

23-4-15

मंगल पुसाद मिश्र आत्मज स्व. मटुक्यारी राम ब्रा० निवासी ग्राम सूहा
धाना शाहपुर तहसील हनुमना जिला रीवा ४म०प०४ --- निगराकार
बनाम

- 1- श्रीगया पुसाद मिश्र आत्मज स्व. मटुक्यारी राम ब्रा० ।
- 2- श्री नवल विशोर मिश्र आत्मज स्व. मटुक्यारी राम ब्रा० । - दोनो
का पेसा कृषि एवं नि०ग्राम सूहा धाना शाहपुर तहसील हनुमना
जिला रीवा ४म०प०४ - - - - - गैरनिगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प०भू-रा०सं०

न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हनुमना जिला रीवा ४म०प०४ के
अपील पु०क्र०/173/27/12-13 में पारित
आदेश दिनांक 16-04-015 के विरुद्ध निग-
रानी याचिका ।

पुकरण के संक्षिप्त तथ्य :--

४ अ४- यह कि निगराकार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय श्री मान् -
नायव तहसीलदार वृत्त पहाड़ी तहसील हनुमना जिला रीवा ४म०प०४ के
समक्ष बटवारा आवेदन पत्र पेश किया गया जिसमें सम्मन प्राप्त होने पर
गैर निगराकार श्रीगया पुसाद मिश्र एवं श्री नवल विशोर मिश्र जीर -
अधिवक्ता श्रीबी.पी. त्रिपाठी दिनांक 04-10-08 को उपस्थित हुए तथा
पुकरण की सम्पूर्ण कार्यवाहियों में भाग लिये ।

४ ब४- यह कि माननीय विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों


न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

(19)

प्रकरण क्रमांक 2/255/15, शीवा

अप्रीला गया प्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05/01/19	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>आर.एस.सेंगर</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी <u>हनुमना</u> के प्रकरण क्रमांक 17/35-27/12-13 में पारित आदेश दिनांक 16/04/15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>शीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 22/4/19 को कलेक्टर जिला <u>शीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	